संख्या 00972/2019-2020 पत्रावली संख्या M/MEE/0017766 दिनांक 13/11/2019

प्रारूप-8

नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **MEE/07120/2019-2020**

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बोटनी एल्यूमनी एसोसियेशन, वनस्पति विज्ञान विभाग **चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0, मेरठ , 250004** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक **12/11/2024** तक विधिमान्य होगा ।

आज दिनांक **13/11/2019** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(DILEEP KUMAR GUPTA)
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : बोटनी एल्यूमनी एसोसियेशन

संस्था का पता / Society's Address : वनस्पति विज्ञान विभाग चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0,Meerut ,250004

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : समस्त उत्तर प्रदेश होगा

संपर्क संख्या / Contact Number : 9978406174

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य

विज्ञान साहित्य या ललित कला की प्रोन्नति ,	शिक्षा के लिये ,	उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिये (राजनीतिक शिक्षा) ,	जनसामान्यन के लिये स्थायपित पुस्तककालयों/ वाचनालयों से संबंधित ,	रंग चित्रों या अन्ये कला कृतियों/ संग्राहालयों/ गैलरियों ,	प्राकृतिक इतिहास के संकलन ,	यांत्रिक / दार्शनिक ,	बहुउदेशीय ,

से सम्बंधित है)

1- वर्तमान एवं पूर्व छात्र छात्राओं का विस्तृत बायोडाटा संकलन, संग्रहण एवं नवीनीकरण करना।

2- पूर्व छात्र छात्राओ की जिन्होनें अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान, योग्यता, कौशल हासिल किया हो, के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रेरित करना एवं सम्बल प्रदान करना।

3- एसोसियेशन के सदस्यों को, की जिन्होनें इसके उद्देश्यों को हासिल करने में विशिष्ट योगदान दिया हो पुरस्कार गठित कर प्रदान कर प्रोत्साहित करना।

4- वनस्पति विज्ञान के मूल एवं संबन्धित क्षेत्रों में नए शोध, नई खोज एवं महत्वपूर्ण शीर्षकों पर व्याख्यान, परिचर्चा, गोष्ठी का आयोजन करना।

5- वनस्पति विज्ञान के मूल एवं संबन्धित क्षेत्रों में विशेष शोध, विशेष खोज के लिए अनुसंधानकर्ता को पुरस्कृत करना।

6- एसोसियेशन के सदस्यों एवं छात्र छात्राओं का विज्ञान के विशेषतः वनस्पति विज्ञान के जन साधारण में, स्कूली बच्चों में, नव युवकों में, प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना एवं सभी प्रकार की जरूरी सहायता करना। विज्ञान विशेषतः वनस्पति विज्ञान को रुचिकर बनाना एवं सामाजिक कल्याण की पूर्ति का साधन बनाना और इसे जनसाधारण के सम्मुख रखना।

7- वनस्पति विज्ञान के उत्थान के निमित सभी प्रकार के हितकर कार्यक्रमों का आयोजन करना।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है / Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	प्रो0 देवाशीष बनर्जी	पुत्र श्री आर0 एन0 बनर्जी	सलाहकार/बाबा आम्टे इंस्टीट्यूट फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट/ 112, ग्राम जटाशंकर, पोस्ट बागली, देवास, मध्यप्रदेश 455227	अध्यक्ष	सलाहकार	8959548580		
2.	प्रो0 अमर प्रकाश गर्ग	पुत्र स्व0 श्री मिट्ठन लाल गर्ग	कुलपति /शोभित विश्वविद्यालय/ 258, ग्रीन एस्टेट, एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी के सामने, रुड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ, उ0प्र0 250110	उपाध्यक्ष	कुलपति	9410608377		
3.	श्री श्रद्धानन्द त्यागी	पुत्र श्री देशराज सिंह त्यागी	सेवानिवृत्त /भारतीय वन सेवा के अधिकारी/ 8, फॉरेस्ट कॉलोनी, यश कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोत्री वडोदरा, गुजरात 390021	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त	9978406174		
4.	प्रो0 विमला येरमिल्ली	पुत्री स्व0 श्री श्रीरामा मूर्ति येरमिल्ली	प्रो0 वाइस चांसलर/चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ/ 458, वेस्टर्न कचहरी रोड, निकट एस डी एफ सी बैंक, चौबे कम्पाउण्ड, मेरठ, उ0प्र0 250001	सचिव	प्रो0 वाइस चांसलर	9411905180		
5.	डॉ0 अनिल कुमार गुप्ता	पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश गुप्ता	आर0टी0ओ0 /बरेली/ ए 26, मोती प्रयाग कॉलोनी रोड, गढ़ रोड, निकट एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, जिला मेरठ, उ0प्र0 250004	संयुक्त सचिव	आर0टी0ओ0	9837151231		

	प्रो0 ईश्वर सिंह	पुत्र स्व0 श्री तेजपाल सिंह	प्राध्यापक /एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्पति विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ/ 371/80, न्यू गोविन्दपुरी, कंकरखेड़ा, गली नं0 8, मेरठ कैंट, मेरठ, उ0प्र0 250001	कोषाध्यक्ष	प्राध्यापक	7017742073		
7.	डॉ0 मीनू गुप्ता	पत्नी श्री राकेश गुप्ता	प्राध्यापक /वनस्पति विज्ञान विभाग, आर0जी0 कॉलिज, मेरठ/ म0नं0 313/4, जागृति विहार, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ0प्र0 250004	सदस्य	प्राध्यापक	8979113568		
8.	डॉ0 राजेश कुमार शर्मा	पुत्र स्व0 डॉ0 महानन्द शर्मा	प्राध्यापक /वनस्पति विज्ञान विभाग, एस0एस0वी0 कॉलिज, मेरठ/ म0नं0 डी 29, शास्त्री नगर, जिला मेरठ, उ0प्र0 250004	सदस्य	प्राध्यापक	9911022166		
9.	डॉ0 शालिनी शर्मा	पत्नी श्री अमित कुमार शर्मा	प्राध्यापक /जैव तकनीकी विभाग, एम0आई0ई0टी0, मेरठ/ ई 96, शास्त्री नगर, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ0प्र0 250004	सदस्य	प्राध्यापक	8630765445		
10.	डॉ0 अमिता शर्मा	पत्नी श्री विकास शर्मा	प्राध्यापक /वनस्पति विज्ञान आर0जी0 कॉलिज, मेरठ/ एफ 43, एफ ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ0प्र0 250004	सदस्य	प्राध्यापक	9897818631		

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	प्रो0 देवाशीष बनर्जी	पुत्र श्री आर0 एन0 बनर्जी	सलाहकार/बाबा आम्टे इंस्टीट्यूट फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट/ 112, ग्राम जटाशंकर, पोस्ट बागली, देवास, मध्यप्रदेश 455227	सलाहकार
2.	प्रो0 अमर प्रकाश गर्ग	पुत्र स्व0 श्री मिट्ठन लाल गर्ग	कुलपति /शोभित विश्वविद्यालय/ 258, ग्रीन एस्टेट, एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी के सामने, रुड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ, उ0प्र0 250110	कुलपति
3.	श्री श्रद्धानन्द त्यागी	पुत्र श्री देशराज सिंह त्यागी	सेवानिवृत्त /भारतीय वन सेवा के अधिकारी/ 8, फॉरेस्ट कॉलोनी, यश कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोत्री वडोदरा, गुजरात 390021	सेवानिवृत्त
4.	प्रो0 विमला येरमिल्ली	पुत्री स्व0 श्री श्रीरामा मूर्ति येरमिल्ली	प्रो0 वाइस चांसलर/चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ/ 458, वेस्टर्न कचहरी रोड, निकट एस डी एफ सी बैंक, चौबे कम्पाउण्ड, मेरठ, उ0प्र0 250001	प्रो0 वाइस चांसलर
5.	डॉ0 अनिल कुमार गुप्ता	पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश गुप्ता	आर0टी0ओ0 /बरेली/ ए 26, मोती प्रयाग कॉलोनी रोड, गढ़ रोड, निकट एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, जिला मेरठ, उ0प्र0 250004	आर0टी0ओ0
6.	प्रो0 ईश्वर सिंह	पुत्र स्व0 श्री तेजपाल सिंह	प्राध्यापक /एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्पति विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ/ 371/80, न्यू गोविन्दपुरी, कंकरखेड़ा, गली नं0 8, मेरठ कैंट, मेरठ, उ0प्र0 250001	प्राध्यापक
7.	डॉ0 मीनू गुप्ता	पत्नी श्री राकेश गुप्ता	प्राध्यापक /वनस्पति विज्ञान विभाग, आर0जी0 कॉलिज, मेरठ/ म0नं0 313/4, जागृति विहार, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ0प्र0 250004	प्राध्यापक
8.	डॉ0 राजेश कुमार शर्मा	पुत्र स्व0 डॉ0 महानन्द शर्मा	प्राध्यापक /वनस्पति विज्ञान विभाग, एस0एस0वी0 कॉलिज, मेरठ/ म0नं0 डी 29, शास्त्री नगर, जिला मेरठ, उ0प्र0 250004	प्राध्यापक
9.	डॉ0 शालिनी शर्मा	पत्नी श्री अमित कुमार शर्मा	प्राध्यापक /जैव तकनीकी विभाग, एम0आई0ई0टी0, मेरठ/ ई 96, शास्त्री नगर, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ0प्र0 250004	प्राध्यापक
10.	डॉ0 अमिता शर्मा	पत्नी श्री विकास शर्मा	प्राध्यापक /वनस्पति विज्ञान आर0जी0 कॉलिज, मेरठ/ एफ 43, एफ ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उ0प्र0 250004	प्राध्यापक

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है। दिनॉक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	**बोटनी एल्यूमनी एसोसियेशन**
संस्था का पता / Society's Address :	वनस्पति विज्ञान विभाग चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0,Meerut ,250004
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	समस्त उत्तर प्रदेश होगा
संपर्क संख्या / Contact Number :	9978406174

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	20000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
संरक्षक सदस्य / Patron Member	1000	संस्था के संस्थापक ही संरक्षक सदस्य कहलाते हैं संस्था स्थापना के लिया इनके द्वारा संस्था के कोष में दी गयी चल या अचल सम्पति ही इनका सदस्यता शुल्क होगा

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :	साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, संरक्षक सदस्य / Patron Member को मिलाकर किया जायेगा।
बैठके / Meetings :	साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।
सूचना अवधि / Notice period :	साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 02 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी |
गणपूर्ति / Quorum :	साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल संदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी |
विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :	संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष मे एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबंधसमिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body :	1- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना एवं कार्यक्रम बनाना तथा यथासम्भव उन्हें कार्यरूप में परिणित कराना। 2- प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चयन करना। 3- वार्षिक बजट की अनुमति प्रदान करना। 4- विवादित स्थिति में समुचित व्यवस्था प्रदान करना एवं अन्तिम निर्णय देना।

5- प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन कराना। 6- संस्था की नियमावली में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के रूप में संशोधन करना।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-2, कोषाध्यक्ष-1, सचिव-1, सदस्य-4, संयुक्त सचिव-1 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 10 होगी।

सूचना अवधि / Notice period : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 01 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी ।

बैठके / Meetings : प्रबन्धसकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।

गणपूर्ति / Quorum : प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से3/4 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body : 1- साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन करना। 2- वार्षिक योजनाओं को साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमति प्रदान करना। 3- संस्था के हित में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करना, जिसके आयोजन की स्वीकृति साधारण सभा द्वारा की जानी अनिवार्य होगी। 4- संस्था के नियमों का कड़ाई से पालन कर, संस्था के हित में निष्ठा से कार्य करना। 5- संस्था के निमित्त आकस्मिक रूप से किये जाने वाले धन के व्यय की स्वीकृति देना, जिसका अनुमोदन साधारण सभा द्वारा कराया जाना आवश्यक होगा। नोट- आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति क्रमांक 5 के अनुसार योग्यता रखते हुए संस्था को एकमुश्त 20,000/- रूपये का भुगतान नगद दे या चैक/ड्राफ्ट से दे वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा। इन सदस्यों से प्राप्त धनराशि को बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा कराया जायेगा एवं इस सावधि जमा को सेविंग बैंक खाते में प्राप्त करने या समाप्त करने के लिए आजीवन सदस्यों की 1/3 संख्या की सहमति अनिवार्य होगी। संरक्षक सदस्य- जो व्यक्ति क्रमांक 5 के अनुसार योग्यता रखते हुए 1000/- रूपये वार्षिक शुल्क के हिसाब से कम से कम 5 वर्ष का शुल्क रूपये 5000/- एकमुश्त संस्था को देगा और तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर नवीनीकरण शुल्क 5000/- संस्था में जमा करायेगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा। एसोसिएट सदस्य- वे सभी व्यक्ति जो वनस्पति विज्ञान विभाग, चै0 चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में विभागाध्यक्ष के तौर पर वर्तमान में कार्यरत हों या विगत में कार्यरत रहें हों भले ही क्रमांक 5 के अनुसार संस्था की सदस्यता के लिए जरूरी योग्यता ना भी रखते हों, एसोसिएट सदस्य कहलायेंगे। एसोसिएट सदस्यों को मतदान का कोई अधिकारी नहीं होगा एवं ना ही वे कोई पारितोषिक के हकदार होंगे। लेकिन संस्था में अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए अर्ह होंगे। वर्तमान में कार्यरत विभागाध्यक्ष को संस्था के चैक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। मानद सदस्य क- चै0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के सभी भूतपूर्व कुलपति/प्रो0 कुलपति मानद सदस्य होंगे। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा एवं न ही किसी पारितोषिक के हकदार होंगे। ख- ऐसे सभी व्यक्ति जिनका विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान हो और जिन्हें कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर साधारण सभा ने मानद सदस्य के लिए अनुमोदित किया हो, संस्था के मानद सदस्य होंगे। चुनाव प्रक्रिया- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का पाँच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर नई प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रतिपादित करने के लिए चुनाव तिथि से कम से कम दो माह पूर्व वर्तमान प्रबन्धकारिणी समिति चुनाव अधिकारी का मनोनयन करेगी। 2- चुनाव से 1 माह पूर्व चुनाव अधिकारी, चुनाव तिथि घोषित करेगा। 3- चुनाव अधिकारी का मनोनयन होने पर संस्था के सचिव द्वारा उस समय तक बनाये गये सदस्यों की सूची मनोनीत चुनाव अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। कथित सदस्यता सूची को संस्था के वर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा, ताकि चुनाव अधिकारी के मनोनयन के पश्चात् बनाया गया कोई भी सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले सके। 4- संस्था का कोई सदस्य, यदि किन्हीं अनिवार्य कारणों से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ हो और स्वयं उपस्थित होकर अपना मत न दे सके तो ऐसी दशा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए लिखित रूप से अपना मत डाक द्वारा या अन्य किसी उपाय से मनोनीत चुनाव अधिकारी के पास पहुँचा सकेगा। मत की गोपनीयता बरतने के लिए मत को मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके देना आवश्यक होगा। 5- यदि किन्हीं असामान्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुनाव प्रक्रिया घोषित चुनाव तिथि तक प्रतिपादित न हो सके तो चुनाव

अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि सुविधानुसार अगली तिथि एक माह के भीतर निश्चित करके चुनाव कराये। यदि ऐसी स्थिति भी न हो सके तो मनोनीत चुनाव अधिकारी संस्था के सदस्यों से विचार विमर्श कर एवं उसकी सहमति लेकर अल्पावधि के लिए काम चलाऊ प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का गठन करके प्रबन्ध समिति बना दे या निवर्तमान होने वाली वर्तमान प्रबन्धकारिणी समिति को ही काम चलाऊ समिति बनाये रखें। किन्तु यह व्यवस्था किसी भी तरह 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में नए चुनाव द्वारा विधिवत निर्वाचित प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जाना अनिवार्य होगा। इस चुनाव प्रक्रिया को भी पूर्व मनोनीत चुनाव अधिकारी ही सम्पन्न करायेगा। 6- मनोनीत चुनाव अधिकारी न तो किसी पद का दावेदार होगा और न ही किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकेगा। मनोनीत चुनाव अधिकारी चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए अपने सहायक के रूप में कोई भी संस्था के दो सदस्य रख सकेगा। सहायतार्थ रखे गये सदस्य भी संस्था के किसी पद के दावेदार नहीं होगी, किन्तु उन्हें चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा। 7-चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने पर चुनाव अधिकारी चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कागजात नवनिर्वाचित अध्यक्ष/सचिव को उसके प्राप्ति हस्ताक्षर करवाकर सौंप देगा। नव निर्वाचित अध्यक्ष/सचिव उन सब कागजात को सुरक्षित रखेगा, जब तक कि पांच वर्ष पश्चात् अगली प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव न हो जायें। नोट- संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखा जाएगा। संयुक्त खातों का संचालन संस्था के कोषाध्यक्ष के अनिवार्य हस्ताक्षरों के साथ साथ वनस्पति विज्ञान विभाग के वर्तमान अध्यक्ष या संस्था के सचिव में से किसी भी एक के द्वारा किए गए हस्ताक्षरों से होगा। कार्यकाल- संस्था की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल कम से कम 05 वर्ष होगा। परिस्थितिवश संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव समय रहते न होने पर प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, किन्तु ऐसा किया जाना अपरिहार्य एवं आपातकालीन परिस्थितियों के वशीभूत होकर ही किया जायेगा, जिसका अनुमोदन आगामी साधारण सभा द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या, जिनका चयन साधारण सभा द्वारा होगा- अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, सचिव 1, संयुक्त सचिव 1, कोषाध्यक्ष 1 तथा सदस्य जिनकी संख्या 4 होगी। दो उपाध्यक्षों में से एक शिक्षक समुदाय से तथा एक गैर शैक्षणिक समुदाय से होगा। समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी भी जा सकेगी, जिसकी अनुमति साधारण सभा द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा अध्यक्ष द्वारा संस्था के हित में किसी भी सदस्य को संगठन मंत्री, प्रचार प्रसार मंत्री तथा विधि परामर्शी मनोनीत किया जा सकेगा

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :	प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी |
कार्यकाल / Tenure :	प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 05साल का होगा |
प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body :	प्रबंध समिति का चुनाव साधारण सभा के सदस्यों में से बहुमत द्वारा करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष

1. 1- संस्था के अध्यक्ष का मुख्य कार्य संस्था की साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उन बैठकों में अनुशासन एवं प्रतिष्ठा बनाये रखने के समस्त अधिकार भी अध्यक्ष को होंगे। किसी विवादित स्थिति में पक्ष व विपक्ष के मत समान होने पर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत निर्णायक मत के रूप में देने का अधिकार होगा। संस्था द्वारा निर्धारित नियमित आयोजनों के अलावा भी यदि कोई अन्य विशेष आयोजन संस्था द्वारा किया जाता है तो उस आयोजन की अध्यक्षता भी संस्था के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। 2- संस्था के सुचारू संचालन हेतु समस्त प्रबन्धों पर नियमित नियंत्रण रखना। 3- संस्था की साधारण सभा या प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन कराना। 4- संस्था के समस्त कार्यकलापों व कार्यवाहियों को अनुमोदित करना तथा स्वीकृति प्रदान करना। 5- महासचिव व कोषाध्यक्ष के लेखों को व्यवस्थित करवाना। 6- अन्य कोई भी कार्य, जो संस्था के हितार्थ सौंपा जाये, उसका पूर्ण निष्ठा से कार्यान्वयन कराना। 7- संस्था के समस्त पदाधिकारियों के कार्यों पर निगरानी रखना तथा संस्था के नियमों की पाबन्दी उनसे कराना तथा स्वयं भी करना। 8- प्रबन्धकारिणी के किसी भी पदाधिकारी व सदस्य को विषम एवं अनिवार्य परिस्थितियों की आवश्यकता होने पर निलम्बित करना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, जिसका अनुमोदन साधारण सभा द्वारा कराया जाना आवश्यक होगा।

उपाध्यक्ष

2. संस्था के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त कार्यों का अध्यक्ष के सदृश्य पालन करना और समस्त कार्य जो भी अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत रूप से दिये गये हैं, उनका पालन करना।

सचिव

3. 1- अपने नाम व पद से साधारण सभा का प्रबन्ध समिति की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना। साथ ही पत्र व्यवहार को सुरक्षित रखना तथा संस्था के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से परामर्श कर नियमानुसार सभायें व बैठकें आयोजित करना। 2- संस्था की साधारण सभा व प्रबन्ध समिति की बैठकों की कार्यवाही को विधिवत रजिस्टरों में अंकित करना। साथ ही सभा एवं बैठकों में पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना। 3- संस्था की साधारण सभाओं व प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें नियमानुसार आयोजित करना एवं उनकी सूचना समय से सदस्यों को देना। 4- साधारण सभा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत धन को सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति के आदेश एवं निर्देशों के अनुसार व्यय करना। 5- संस्था के सभी सदस्यों की सूची उसके निमित्त बनाये गये रजिस्टर में अंकित करना। 6- संस्था के निमित्त किये गये पत्र व्यवहार को समुचित रूप से रजिस्टर में रखना। 7- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची भी बाकायदा रजिस्टर में अंकित करना। 8- संस्था के कोषाध्यक्ष द्वारा प्राप्त धन को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि या अन्य खाता खुलवाकर धन जमा करवाना। 9- बैंक से आवश्यकतानुसार कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा खातों से धन निकालकर संस्था के हित में व्यय करना।

संयुक्त सचिव

4. संस्था के सचिव की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा नियमानुसार किये जाने वाले कार्यों का संचालन करना।

कोषाध्यक्ष

5. 1- चन्दा आदि या अन्य किसी स्रोत से संस्था के निमित धन की विधिवत प्राप्ति रसीद देना तथा प्राप्त धन को संस्था द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंक में यथाशीघ्र संस्था के खाते में जमा कराना। 2- संस्था का समस्त धन संस्था द्वारा नामित बैंक में खोले गये संयुक्त सेविंग खाते या अन्य किसी खाते में जमा रहेगा। संयुक्त खातों का संचालन संस्था के कोषाध्यक्ष के अनिवार्य हस्ताक्षरों के साथ-साथ वनस्पति विज्ञान विभाग के वर्तमान अध्यक्ष या संस्था के सचिव में से किसी भी एक के द्वारा किये गये हस्ताक्षरों से होगा। 3- संस्था के निमित प्राप्त धन या संस्था के निमित्त व्यय किये गये धन का लेखा जोखा विधिवत कैशबुक में कोषाध्यक्ष द्वारा अंकित किया जायेगा और इस निमित रखी गयी कैश बुक के अनुसार आय व्यय की बैलेंस शीट समय समय पर प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों या साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। 4- आजीवन सदस्यों से प्राप्त धनराशि अनिवार्य रूप से सावधि खाते में रखी जायेगी एवं इस सावधि जमा को सेविंग बैंक खाते में प्राप्त करने या समाप्त करने के लिए आजीवन सदस्यों की 1/3 संख्या की सहमति अनिवार्य होगी। 5- लेखा परीक्षण/आडिट संस्था के संयुक्त सचिव करेंगे। संस्था के आय व्यय के हिसाब की विधिवत जांच पड़ताल कर हर वर्ष अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सचिव को देंगे जिसे सचिव प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। साथ ही लेखा परीक्षण की रिपोर्ट साधारण सभा में भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

सदस्य

6. 1- संस्था के हित में कार्य करना। 2- अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सौंपे गए कार्य करना।

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

	पदाधिकारी/Post
1.	अध्यक्ष
2.	सचिव

आय के स्रोत / Source of Income

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Mebership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूलड़ बैंक, पोस्ट ऑफिस,या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन अध्यक्ष एवम सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा |

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व| / Responsibility for court operations of the society by or against :

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा की जाएगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत की जाएगी।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेग / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
   a) साधारण सभा / Genearal Body.
   b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / Dissociation :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनॉक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

(10)

शासनादेश संख्या - सी0एम0- 109/ तीन-2014, दिनांक जून, 2014 का

स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र

मैं प्रो0 विमला येर्रमिल्ली पुत्री स्व0 श्री श्रीरामा मूर्ति येर्रमिल्ली आयु 59 वर्ष निवासी 458, वेस्टर्न कचहरी रोड, निकट एस डी एफ सी बैंक, चौबे कम्पाउण्ड, मेरठ, उ0प्र0 250001 की हूँ तथा संस्था बोटनी एल्यूमनी एसोसियेशन, वनस्पति विज्ञान विभाग चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0 250004 की सचिव हूँ।

प्रमाणित करते हुए घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गए विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य है । मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध भा0द0वि0, 1860 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊँगी।

मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कि गई दस्तावेजों का स्वः प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्वः प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गई सभी प्रकार की सुविधायें तत्काल वापस ले ली जायें ।

यह कि मेरे संज्ञान में आवेदित सोसाइटी नाम से कोई पूर्व पंजीकृत सोसाइटी नही है न ही मेरी संस्था का उद्देश्य किसी पूर्व पंजीकृत/ अपंजीकृत सोसाइटी की प्रबन्धसमिति/ परिसम्पत्तियो में अनावश्यक हस्तक्षेप या बलात कब्जे का है। यह कि उक्त सोसाइटी नाम से पूर्व पंजीकृत संस्था पायी जाती है तो मै अपनी सोसाइटी का नाम परिवर्तित कर लूंगी। अन्यथा की स्थिति में मेरी संस्था का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए मुझे कोई आपत्ति नही होगी। संस्था का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, साहित्यिक होगा तथा संस्था का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नही होगा। यह कि स्मृति पत्र व नियमावली पर जिन सदस्यो/ पदाधिकारियो के नाम व पते दर्ज है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही है। स्मृति पत्र व नियमावली में अंकित हस्ताक्षर स्मृति पत्र में वर्णित व्यक्तियो द्वारा ही किये गये है।

स्थान - मेरठ। आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर...

दिनांक- 01-08-2019 आवेदनकर्ता का नाम- ...प्रो0 विमला येर्रमिल्ली...

आज दिनांक 20-07-2019 को प्रातः 11 बजे पूर्व सूचना के अनुसार संस्था के कार्यालय पर प्रो0 देवाशीष बनर्जी की अध्यक्षता मे एक साधारण सभा की सामान्य बैठक बुलाई गई।

प्रस्ताव सं. 1 संस्था की बैठक की अध्यक्षता करने पर विचार	उपस्थित सभी सदस्यो के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि भविष्य मे आयोजित बैठको की अध्यक्षता हेतु प्रो0 देवाशीष बनर्जी को नियुक्ति किया गया है जिसका समर्थन उपस्थित समस्त सदस्यो ने हाथ उठाकर एक स्वर से सहमति व्यक्त की।
प्रस्ताव सं. 2 संस्था के गठन तथा नामांकन पर विचार	अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यो के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि एक संस्था का गठन किया जा रहा है जिसका नाम बोटनी एल्यूमनी एसोसियेशन, वनस्पति विज्ञान विभाग चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0 250004 रखा जा रहा है। उपस्थित सभी सदस्यो ने उक्त प्रस्ताव पर विचार कर प्रस्ताव को पारित कर दिया।
प्रस्ताव सं. 3 सम्पूर्ण प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव पर विचार	सर्वसम्मति से संस्था को सुचारु रूप से संचालन के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यो का चुनाव किया गया।

क्र. सं.	नाम	पद	फोटो	हस्ताक्षर
1-	प्रो0 देवाशीष बनर्जी	अध्यक्ष		
2-	प्रो0 अमर प्रकाश गर्ग	उपाध्यक्ष		

3-	श्री श्रद्धानन्द त्यागी	उपाध्यक्ष		
4-	प्रो0 विमला येर्रमिल्ली	सचिव		
5-	डॉ0 अनिल कुमार गुप्ता	संयुक्त सचिव		
6-	प्रो0 ईश्वर सिंह	कोषाध्यक्ष		
7-	डॉ0 मीनू गुप्ता	सदस्य		

8-	डॉ0 राजेश कुमार शर्मा	सदस्य		
9-	डॉ0 शालिनी शर्मा	सदस्य		
10-	डॉ0 अमिता शर्मा	सदस्य		

CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY,
MEERUT

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

दिनांक : 07.08.2019

To Whom It May Concern

This is to certify that Botany Alumni Association has already been allotted space in the department i.e. Room No. 111 at ground floor as its office for correspondence as per resolution passed as item no. 19(3) in the meeting of University Executive Council held on 23-02-2018.

Narayan
7/8/19

Head,
Department of Botany